तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 59/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/602) बअनवान सकीनो बनाम उमे खां इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

(प्रथम लिंक अधिकारी)

सकीनो

बनाम

उमे खां इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री हरिराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सनिल के मेराजा, अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1

आदेश

दिनांक 14 जनवरी 2026

अपीलार्थीनी ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या 117/2025 अनवान उमे खां व अन्य बनाम इन्द्रा इत्यादि में पारित आदेश दिनाक 19 अगस्त 2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 302 रकबा 12.7395 हैक्टेयर ग्राम स्वामीजी की ढाणी एवं खसरा नंबर 350 रकबा 16.8349 हैक्टेयर ग्राम हेमसागर तहसील फलसुण्ड अपीलार्थीनी की सहखातेदारी की भूमि है तथा अपीलार्थीनी अपने हक–हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतो के विपरीत पारित किया गया है। कानूनन सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित करने के बाद प्रार्थी/रेस्पो. की ओर से आदेश 39 नियम 03 में विहित प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध पाये जाने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 अगस्त 2025 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात उभय पक्षकारान् की सामलाती खातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत विभाजन होना शेष है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखे बिना सीधे ही हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 59/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/602) बअनवान सकीनो बनाम उमे खां इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 302 रकबा 12.7395 हैक्टेयर ग्राम स्वामीजी की ढाणी एवं खसरा नंबर 350 रकबा 16.8349 हैक्टेयर ग्राम हेमसागर तहसील फलसुण्ड उभय पक्षकारान् की सामलाती भूमि प्रकट होती है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखने के लिए प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी/रेस्पो. के पक्ष में मानते हुए अपीलाधीन अंतरिम आदेश पारित किया जाना प्रकट होता हैं। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराजोही किये बिना सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट के पास विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्ति का समुचित अवसर प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में मामला निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश तिवाड़ी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर